कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोण्डा वन प्रभाग,गोण्डा।

पत्रांक 2839 /33–1, दिनांक, गोण्डा, फरवरी / 7 /2022

सेवा में,

वरिष्ठ प्रबन्धक, (खुदरा बिक्री) लखनऊ,
मण्डलीय कार्यालय इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड
कपूरथला काम्पलेक्श अलीगंज लखनऊ (उ0प्र0) पिनकोड–226024।

विषय:– जनपद गोण्डा के अर्न्तगत फरेन्दा–जरवल मार्ग एस0एच0–1ए (न्यू एन0एच0–330बी0) के कि0मी0 नं0–218+400 से 217.600 के मध्य बायीं पटरी पर गाटा संख्या 1261 व 1262 पर स्थित ग्राम सकरौरा नगर तह0 करनैलगंज जिला गोण्डा में प्रस्तावित आई0ओ0सी0एल0 रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग निर्माण में प्रभावित 0.017248 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सदर्भ:– भारत सरकार पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ केन्द्रीय भवन पंचम तल सेक्टर एच अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या 8बी0/यू0पी0/06/200/2021/एफ0सी0/455 दिनांक 18.10..2021 पर पृष्ठांकित मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 1309/11सी दिनांक 22.10.2021 एंव वन संरक्षक देवीपाटन वृत्त गोण्डा का पत्रांक 1427/33–1 दिनांक 26.10.2021 का संशोधित पत्र।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अर्न्तगत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृति पत्र आपको भी पृष्ठांकित है का अवलोकन करें जिसके अनुसार शर्त संख्या 2, 3 एंव 4, 5 पर गोण्डा वन प्रभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित धनराशि जमा करने बावत वांछित धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कराकर संदर्भित आदेश के प्रत्येक बिन्दु का अनुपालन आख्या भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर हार्ड कॉपी सम्बन्धित अभिलेखों सहित पाँच प्रतियो में इस कार्यालय में उपलब्ध करायें।

क्र0सं0	शर्त संख्या व विवरण	धनराशि रूपये
1	2	3
1	**क्षतिपूरक वनीकरण शर्त संख्या 2 एंव 3** प्रस्तावक के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 पौधों का रोपण एंव 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित लिया जायेगा	1,98,139
2	**एन0पी0वी0 धनराशि शर्त संख्या 4 एंव 5** शर्त संख्या 4 एंव 5 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन संख्या 202/1995 के अर्न्तगत आई0ए0 संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगीं। भारत सरकार पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन भवन अलीगंज जोरबाग रोड नई दिल्ली के पत्रांक सं0–5–3/2011–एफ0सी0(वि0ओ0एल0–1) दिनांक 06.01.2022 द्वारा रिवाइज वर्तमान एन0पी0वी0 की दर एन0पी0वी0 की दर के अनुसार खुले वन के लिए ईको क्लास तृतीय श्रेणी के आधार पर 9,57,780 लाख प्रति हेक्टेयर हेतु अर्थात (0.017248 X 9,57,780=16,520) से आंकलित	16,520
योग	दो लाख चौदह हजार छः सौ उनसठ रूपये मात्र	2,14,659

उपरोक्त धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0), क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एंव अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा की जाएगी। कृपया उक्त जमा धनराशि का उक्त खाते में भुगतान करें एंव पावती की मूल रशीद (जमा की गयी धनराशि ई–पोर्टल की रशीद) अनुपालन आख्या के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रत्येक बिन्दु की अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर पाँच प्रतियों में प्रस्तुत करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

संख्या..................../उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
2–मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) उ0प्र0 लखनऊ।
3–वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0 गोण्डा।

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

ot on OnePlus